निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज.)
प्रकरण संख्या 36/2020 (रसद अपील)
मैसर्स अंकुर माहेश्वरी प्राधिकृत विकेता उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत जमवारामढ, जिला जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या जि.र.अ.ज द्वितीय/विधि/21/2020/3067 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र आदेश दिनांक 11.09.2020 से निरस्त कर समस्त धरोहर राशि 1000/–रूपये जब्त सरकार करने के आदेश पारित किये गये।

उपस्थित :–

1. श्री राजेश कुमार पारीक अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. .पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 18.01.2021

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी मैसर्स अंकुर माहेश्वरी प्राधिकृत विकेता उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत जमवारामढ, जिला जयपुर ने जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या जि.र.अ.ज द्वितीय/विधि/21/2020/3067 आदेश दिनांक 11.09.202 के विरूद्व यह अपील पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी प्राधिकृत विकेता उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत जमवारामगढ है, जिसके विरूद्व शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 01.06.2020 को जांच/निरीक्षण पर अनिमितताएं मान कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। जबकि जिन लोगों ने शिकायत की थी वह अपीलार्थी से व्यक्तिगत द्वेषता रखने वाले लोग है। जिनके द्वारा कोई ठोस आधार या साक्ष्य अपनी शिकायत के पक्ष में पेश नहीं की गये और लोगों के फर्जी हस्ताक्षर कराके जांच रिपोर्ट पेश करवा दी। जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया जो, विधि

जिला कलक्टर
जयपुर

के विरूद्व है। जांच के दौरान जिन लोगों के बयान दर्ज कराये गये थे उनके नाम राशनकार्ड नहीं है। इसलिए उन्हें सामान देने की या उनके द्वारा शिकायत करने का कोई औचित्य नही है और ना ही शिकायत करने कोई आधार है। जिन लोगों के बयान जांच के दौरान पर्चा मौका पर जांच पर हस्ताक्षर किये गये है, उन लोगों के शपथ पत्र दिये गये है जो पत्रावली में अपीलार्थी की ओर से पेश किये गये है जो राशनकार्ड धारक है। उन्होंने शपथपूर्वक बयान दिये है कि उनके फर्जी हस्ताक्षर कर जांच रिपोर्ट पेश की गई है। वास्तविकता यह है कि पर्चा मौका जांच पर कुछ लोगों ने दूसरों के नाम से फर्जी हस्ताक्षर किये है और साक्ष्य अपीलार्थी के खिलाफ नहीं है। शपथ पत्र में राशनकार्ड धारकों ने कहा है कि डीलर से कोई शिकायत नहीं है और हमने कोई शिकायत नही की है। पर्चा मौका पर हमारे हस्ताक्षर फर्जी है। जांच रिपोर्ट पर प्रार्थी के हस्ताक्षर भी नही है और ना ही मौके पर जाकर पूछताछ की गई और ना ही शिकायत का कोई प्रमाण मिला है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.09.20020 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की डीलर का प्रस्तुत जवाब असत्य एवं मनघढन्त है तथा उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं मौके पर दिये गये बयानों में कम दाल देना स्वीकार किया है। डीलर द्वारा पेश शपथ पत्र सत्यापित नही होने के कारण संदिग्ध है। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की शर्तो एवं सपठित कन्ट्रोलर आदेश 2001 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने से अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

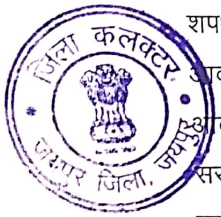

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थी डीलर पर उपभोक्ताओं को कम सामग्री देने की अनियमितता किये जाने का आरोप है। अनियमितता की जांच के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारी ने डीलर द्वारा वितरित की गई किसी उपभोक्ता की सामग्री को मंगा कर नहीं तौला गया और अपीलार्थी डीलर के कॉटा के बारे में माप एवं तौल विभाग के माध्यम से स्टैण्डर्ड की जांच भी नही की गई। सम्पूर्ण कार्यवाही व जांच रिपोर्ट केवल लोगों के बयानों पर आधारित है। अपीलार्थी ने उन्हीं शिकायतकर्ताओं के शपथ पत्र पेश किये है कि शिकायत उनके द्वारा नहीं की गई, बल्कि फर्जी हस्ताक्षर करके की गई है। इस प्रकार शिकायतकर्ताओं के बयान भी संदेहास्पद प्रतीत होते है। मात्र ऐसे बयानों के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्व की गई कार्यवाही को उचित नही माना जा सकता। हम अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्को से सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.09.2020 को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व जब्त समस्त धरोहर राशि बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।

जिला कलक्टर
जयपुर

9. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 18.01.2020 को सरे इजलास सुना गया ।

18/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर

4.

जिला कलक्टर
जयपुर जिला, जयपुर